


भारत सरकार / Government of India वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance राजस्व विभाग / Department of Revenue कार्यालय / Office of the

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र Chief Commissioner of Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone



Phone: 0712-2555561 E-mail: - ccu-cexngpr@nic.in



Dated: [Date of Digital Signature]

<u>स्थापना आदेश क्रमांक. 18/2025</u> ESTABLISHMENT ORDER NO. 18/2025

इस कार्यालय आदेश संख्या 16/2025 और 17/2025 दिनांक 26.5.2025 के क्रम में इस कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र के नागपुर स्थित संरचनाओं के अधीक्षकों और निरीक्षकों के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण और पोस्टिंग का तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आदेश दिया जाता है: -

In continuation of this office orders No. 16/2025 and 17/2025 dated 26.5.2025 in partial modification of this office order, the following transfers and posting in the grade of Superintendents and Inspectors of Nagpur based formations of Central Indirect Taxes and Customs, Nagpur Zone are hereby ordered with immediate effect and till further orders:-

Table-I (Superintendents)

Sr.	Name of the officer	From	То
1	A. Y Shilledar	Nagpur-II	Customs Nagpur
2	Rajesh V. Titarmare	Nagpur-II	Customs Nagpur (w.e.f. 1.8.2025)
3	Sapna	UOT to Nagpur-I Outstation from Nagpur-I	Nagpur-II Outstation
4	Khushvinder	UOT to Customs Nagpur from Nagpur-I	Audit Nagpur

Table-II (Inspectors)

Sr.	Name of the officer	From	To
1	Asad Ali	UOT to Audit Nagpur	Nagpur-II
2	Harshditya Shinde	UOT to Nagpur-II In	Retained at Nagpur-II Outstation
3	Sunny Singh	UOT to Customs Nagpur	Retained at Nagpur-I (for a period of 3 months)
4	Deepraj Patil	UOT to Nagpur-II Outstation	Nagpur-I Outstation

2. आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर विशिष्ट तैनाति क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त / आयुक्त द्वारा की जाएगी। तैनाति करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि संवेदनशील और गैर-संवेदनशील तैनाति के लिए रोटेशन की मौजूदा नीति का पालन किया जाए। अधिकारियों की तैनाति करते समय, नीति और पोस्टिंग के इतिहास के अनुसार उनके स्टेशन की प्राथमिकता पर विधिवत विचार किया जाए। क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त / आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि बोर्ड के पत्र एफ. संख्या C-3013/79/2015-Ad.IVA (Voll.7) दिनांक 17.07.2018 के अनुसार किसी भी अधिकारी को संवेदनशील पद पर 3 वर्ष से अधिक न रखा जाए।

The specific postings within the jurisdiction of the Commissionerate will be made by jurisdictional Principal Commissioner / Commissioner. While doing the posting, it shall be ensured that the existing policy of rotation to sensitive and non-sensitive postings shall be adhered to. While posting the officers, their station preference as per policy & history of posting may be duly considered. The jurisdictional Principal Commissioner / Commissioner shall ensure that no officer is kept beyond 3 years in sensitive post in terms of Board's letter F. No. C-3013/79/2015-Ad.IVA (Voll.7) dated 17.07.2018.

- 3. पदस्थापना आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि ऊपर दिए गए किसी भी अधिकारी का नाम सतर्कता की दृष्टि से स्पष्ट नहीं है, तो उसे संवेदनशील प्रभार में तैनात न किया जाए। While issuing posting orders, it shall be ensured that if any of the officers whose name has figured above is not clear from Vigilance angle, he / she should not be posted to a sensitive charge.
- 4. स्थानांतिरत अधिकारी अपने प्रभार के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध मामलों की सूची तैयार कर कार्यभार ग्रहण करने वाले आने वाले अधिकारी को सौंप दें तथा उसकी प्रतिलिपि नियंत्रण अधिकारी को सौंप दें। कार्यभार सौंपने वाले अधिकारी, DoP&T's OM. No.13024/01/2014-TRG (Trg-Ref) दिनांक 26.09.2024 के संदर्भ में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी के लिए एक नोट भी तैयार करें। The transferred officers should prepare a list of all important and time bound matters under their charge and hand over the same to the incoming officer taking over the charge with copy to the controlling officer. The officers handling over the charge shall also prepare a note for the successor in terms of DoP&T's OM. No.13024/01/2014-TRG (Trg-Ref) dated 26.09.2014.
- 5. अधिकारियों के उनके नए तैनाति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले, िकसी भी तरह के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के उचित माध्यम से आए किसी भी अभ्यावेदन पर, उनके द्वारा नई तैनाति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही विचार किया जाएगा।

 No representation whatsoever shall be entertained before the officers join at their new place of posting. Any representation from the officers through proper channel will be entertained only after joining in new place of posting.
- 6. इस कार्यालय में स्थानांतरण / प्रतिधारण / रोटेशन हेतु अब तक प्राप्त अधिकारियों के सभी अभ्यावेदनों का निराकरण कर दिया गया है।

 All the representations of the officers received in this office for transfer / retention / rotation till date have been disposed of.
- 7. सभी स्थानांतिरत अधिकारियों को 02.06.2025 या उससे पहले कार्यमुक्त किया जाए। इस क्षेत्र से वर्तमान में ऋण / प्रतिनियुक्ति पर मौजूद सभी अधिकारियों को उनकी ऋण / प्रतिनियुक्ति की अविध पूरी होने पर कार्यमुक्त कर दिया जाए क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके ऋण / प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की अविध को आगे नहीं बढ़ाया गया है और उन्हें अपने मूल आयुक्तालयों में शामिल होने के लिए निर्देशित किया जाता

है।

All the transferred officers must be relieved on or before 02.06.2025. All the officers currently on loan / deputation from this zone shall be relieved on completion of their period of loan / deputation as the Competent Authority has not extended their tenure beyond the period of loan / deputation and directed to join their parent Commissionerates.

- 8. तालिका । के क्रमांक 2 में उल्लिखित अधिकारियों को कोई स्थानांतरण टीए / कार्यग्रहण समय स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि उन्हें उनकी इच्छान्सार स्थानांतरित किया गया है।
 - No Transfer TA / Joining Time will be admissible to the officers mentioned at Sl. No. 2 of the Table I as they have been transferred on their willingness / own cost.
- 9. यह स्थापना आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र, नागपुर के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This Establishment Order has been issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone, Nagpur.

(शरद जी. वानखेड़) सहायक आयुक्त (सी सी ओ) (Sharad G. Wankhede) Assistant Commissioner (CCO)

प्रतिलिपि दी गई:

Copy to:

- प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल जोन / मुंबई जोन को, कृपया सूचना हेतु।
 The Principal Chief Commissioner / Chief Commissioner, CGST, Customs & Central Excise, Bhopal Zone / Mumbai Zone, for kind information please.
- 2. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, सी.जी.एस.टी. नागपुर-।, सी.जी.एस.टी. नागपुर-॥, लेखा परीक्षा नागपुर, अपील नागपुर, सीमा शुल्क नागपुर, सी.जी.एस.टी. नासिक, लेखा परीक्षा नासिक, अपील नासिक तथा सी.जी.एस.टी. औरंगाबाद आयुक्तालय को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु । The Principal Commissioner / Commissioner, CGST Nagpur-I, CGST Nagpur-II, Audit Nagpur, Appeals Nagpur, Customs Nagpur, CGST Nashik, Audit Nashik, Appeals Nashik and CGST Aurangabad Commissionerate, for kind information and necessary action please.
- 3. प्रधान अपर महानिदेशक, डी.आर.आई., मुंबई आंचलिक इकाई को, कृपया सूचना हेतु।
 The Principal Additional Director General, DRI, Mumbai Zonal Unit, for kind information please.
- 4. अपर महानिदेशक, डी.जी.जी.आई., नागपुर आंचलिक इकाई को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत्।
 - The Additional Director General, DGGI, Nagpur Zonal Unit, for kind information and necessary action please.

- 5. अपर / संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क चैप्टर सेल, नासिक तथा सीमा शुल्क चैप्टर सेल, औरंगाबाद को, कृपया सूचना हेतु।

 The Additional / Joint Commissioner, Customs Chapter Cell, Nashik and Customs Chapter Cell, Aurangabad, for kind information please.
- 6. उप निदेशक, डी.जी.जी.आई., नासिक क्षेत्रीय इकाई, डी.जी.जी.आई., औरंगाबाद क्षेत्रीय इकाई और डी.आर.आई., नागपुर क्षेत्रीय इकाई को, कृपया सूचना हेतु |
 The Deputy Director, DGGI, Nashik Regional Unit, DGGI, Aurangabad Regional Unit and DRI, Nagpur Regional Unit, for kind information please.
- 7. मुख्य लेखा अधिकारी, अधीक्षक (सतर्कता), सहायक मुख्य लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर जोन / सी.जी.एस.टी. नागपुर- I, सी.जी.एस.टी. नागपुर- II, लेखा परीक्षा नागपुर, अपील नागपुर, सीमा शुल्क नागपुर, सी.जी.एस.टी. नासिक, लेखा परीक्षा नासिक, अपील नासिक और सी.जी.एस.टी. औरंगाबाद आयुक्तालय को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। The Chief Accounts Officer, Superintendent (Vigilance), Assistant Chief Accounts Officer and Administrative Officer, CGST & Central Excise, Nagpur Zone/ CGST Nagpur-I, CGST Nagpur-II, Audit Nagpur, Appeals Nagpur, Customs Nagpur, CGST Nashik, Audit Nashik, Appeals Nashik and CGST Aurangabad Commissionerate, for kind information and necessary action please.
- 8. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर, नासिक और औरंगाबाद को, कृपया सूचना हेतु।
 The Pay & Accounts Officer, CGST & Central Excise, Nagpur, Nashik and Aurangabad, for kind information please.
- 9. संबंधित अधिकारी को, अपने रिकॉर्ड और अनुपालन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.cenexcisenagpur.nic.in से आदेश की प्रति डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। The individual concerned are advised to download copy of the order from the Official Website www.cenexcisenagpur.nic.in for his / her records and compliance.
- 10. अधीक्षक, सिस्टम शाखा, सी. जी. एस. टी. नागपुर- I आयुक्तालय को, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 The Superintendent, Systems Branch, CGST Nagpur-I Commissionerate, for uploading on Official Website.
- 11. गार्ड फ़ाइल। Guard File.